घटिया क्वालिटी के चलते मध्याह्न भोजन के प्रति छात्रों में अरुचि

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, शिक्षा के क्षेत्र में शासन द्वारा ढेरों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिससे शिक्षा का स्तर बढें और छात्रों मे शिक्षा के प्रति रूचि भी पैदा हो। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शासकीय स्कूलों के छात्रों के लिये यह योजनाओं के संचालित होने से ग्रामीण तबके के बच्चों के लिए शासन द्वारा सुनहरा भविष्य तैयार किया गया है।

बच्चों के लिए स्कूंलों में नि:शुल्क खाने तक की व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन बदल बदल कर स्वादिष्ट भोजन गुणवत्तायुक्त बच्चों के लिए चलाई गई मध्यान्ह भोजन योजना मील का पत्थर साबित हुई है।

उक्त योजना के संचालन से जिले के शासकीय स्कूलों मे बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी थी साथ ही अभिभावकों की भी अपने बच्चों के भोजन के व्यवस्था से छुटकारा मिल गया। खासतौर पर गरीब असहाय बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन सफल साबित रही। शुरूआती चरण में तो योजना का सही तरीके से संचालन किया गया और बच्चो को भी पौष्टिक गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाने लगा लेकिन समय के बदलाव के साथ जिम्मेदारों द्वारा योजना मे कटौती करना शुरू कर दिया और मध्यान्ह भोजन कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया वर्तमान में स्कूली छात्रों को जो भोजन घोटाला किया जा रहा है इस भोजन के प्रति छात्रों में अरूचि पैदा होने लगी है।

मध्याह्न भोजन योजना पर ठेकेदारी प्रथा पड़ी भारी:- मध्यान्ह भोजन के योजना के संचालित होने के शुरूआती चरण मे तो सबकुछ ठीक ठाक रहा लेकिन जब से उक्त योजना पर ठेकेदारी प्रथा लागू हुई तब से उक्त योजना कमीशनबाजी की भेंट चढ़ रही है।

पूर्व में जहां बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन परोसा जाता था तो वर्तमान में ऐसा भोजन परोसा जा रहा है कि सब्जी मे आलू, मटर, ढूढने पड़ते हैं। सप्ताह मे प्रतिदिन मीनू के अनुसार भोजन दिया जाता था लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी के हिसाब से भोजन दिया जा रहा है। चावल में तो इतने कंकड निकलते हैं कि बच्चे खाने से भी कतराते हैं लेकिन गरीब तबके के छात्रों की मजबूरी बनी रहती है जिस कारण न चाहते हुए भी भूख के आगे बेबस होकर इन्हें घटिया स्तर का मध्यान्ह भोजन खाना पड़ता है। अक्सर देखने मे आया है जिले के स्कूलों में सप्लाई होने वाला भोजन की गुणवत्ता बिल्कुल घटिया स्तर की रहती है।

कई बच्चे तो भोजन की दशा देखकर शिक्षकों से भी शिकायत करते हैं लेकिन शिक्षक भी कुछ कर पाने में बेबस हैं। बस एक दूसरे से शिकवा शिकायत कर अपनी भडास पूरी कर लेते हैं कि मध्यान्ह भोजन घटिया स्तर का मिल रहा है।

खानापूर्ति बना मध्याह्न भोजन

मध्यान्ह भोजन के नाम पर शासन द्वारा भारी भरकम राशि दी जा रही है जिस हिसाब से शासन इस योजना पर राशि व्यय हो रही है। उस हिसाब से बच्चों को निवाला नहीं खिलाया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा द्वारा स्कूलों के लिये बनाया जा रहा है मध्यान्ह भोजन स्थल पर जाकर भोजन परखा तो देखने पर ऐसा लग रहा था कि भोजन बनाने के नाम पर ठेकेदार द्वारा औपचारिकतायें पूरी कर दी गई है।

मध्याह्न भोजन का नहीं होता निरीक्षण

आये दिन मध्यान्ह भोजन की शिकायतें शिक्षकों द्वारा मिलती रहती है और बच्चों द्वारा भी मध्यान्ह भोजन के प्रति नाराजगी बरती जाती है। यहां तक कि कुछ शिक्षकों द्वारा स्कूलों में भोजन सप्लाई करने वाले लोगों से भोजन की गुणवत्ता के सुधार पर चर्चा करने वाले लोगों से भोजन की गुणवत्ता के सुधार पर चर्चा भी की गई लेकिन ठेकेदार द्वारा भोजन की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया। जिस कारण आये दिन बच्चों को घटिया स्तर का भोजन मुहैया कराया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण करना उचित नहीं समझा। जिस कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्यान्ह भोजन योजना भी कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई।

पुरैना-पगरा मार्ग में हर दिन जाम में फंस रहे सैकड़ों वाहन

लगती है कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, स्टेट हाईवे-49 पर इन दिनों सफर करना लोगों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रह गया है। पुरैना से पगरा तक चल रहे सीसी सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार और भारी वाहनों के अलावा सीमेंट कंपनी के वाहनों के बढ़ते दबाव ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है।

हालात यह हैं कि रोजाना घंटों तक लंबा जाम लग रहा है। इससे मरीजों, स्कूली बच्चों, व्यापारियों और आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब एक माह पहले शुरू हुए सड़क निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। दो-दो मशीनें लगाए जाने के बावजूद अब तक सड़क का एक हिस्सा भी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। निर्माण कार्य के चलते मार्ग संकरा हो गया है जबकि दूसरी ओर ट्रक, ट्राले, टैंकर और अन्य भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से यातायात का दबाव कई गुना बढ़ गया है। सिमरिया एवं अमानगंज पुलिस को यह हाल है कि उनकी कार्यप्रणाली से महसूस होता है कि वे भारी वाहनों के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है इसके पीछे तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है।

चैबीसों घंटे लगी रहती है वाहनों की लंबी लाइन - राहगीरों का कहना है कि सुबह से लेकर देर शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। जाम के कारण मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूली बच्चे घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं निर्माण स्थल में उड़ने वाली धूल और अव्यवस्थित यातायात ने लोगों का दैनिक जीवन भी मुश्किल बना दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन और अमानगंज तथा सिमरिया पुलिस को स्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद ट्रैफिक प्रबंधन और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण को युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए और भारी वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग या निर्धारित समय तय किया जाए ताकि आम लोगों को जाम से राहत मिल सके।

जुगल किशोर मंदिर मार्ग बदहाल, श्रद्धालु परेशान

मरम्मत के एक साल के भीतर उखड़ी सड़क

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर तक जाने वाला मार्ग इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए आस्था से अधिक परीक्षा का रास्ता बन गया है।

नगर पालिका द्वारा बाजार से मंदिर तक सड़क की मरम्मत कराए अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ लेकिन सड़क कई स्थानों से उखड चुकी है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढे और बारिश के पानी से भरे खस्ताहाल हिस्से लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, और दुकानदारों इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन बदहाल सड़क उनकी राह मुश्किल बना रही है। भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष अवसरों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद मंदिर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सड़क की ऊपरी परत कई जगह पूरी तरह उखड़ चुकी है और छोटे-छोटे गड्ढे अब बड़े और गहरे गड्ढों में बदल गए हैं। बारिश के मौसम ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाज नहीं लग पाता, जिससे दोपहिया वाहन चालक फिसलने का खतरा उठाते हैं। कई बार लोग संतुलन बिगड़ने से गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और महिलाओं को भी पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है।

कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का संकट, जुलाई का महीना अतिथि शिक्षकों के नाम

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है किन्तु सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक का संकट है तो कहीं शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं। कहीं पाठ्यपुस्तकें ही अभी तक नहीं पहुंच पाई तो कहीं नियमित रूप से स्कूलें ही नहीं खुल रही हैं। जहां स्कूलें खुल रही है वहां नियमित रूप से शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग अभी रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की पूर्ति करवा रहा है। इसके लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जुलाई का महीना अतिथि शिक्षकों की भर्ती के नाम पर बीतेगा। क्योंकि चरणबद्ध तरीके से की जा रही भर्ती में लांग टर्म वाले अतिथि शिक्षक, शार्ट टर्म वाले अतिथि शिक्षक, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जानी है। यह सब 31 जुलाई तक होना है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि जुलाई का महीना अतिथि शिक्षकों के नाम पर बीतेगा।

अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिये लंबे चैड़े दिशा निर्देश- जहां अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिये जिससे त्वरित गति से भर्ती हो सके और शैक्षणिक कार्य शुरू हो सके। वहां इस प्रक्रिया को इतना व्यापक बना दिया गया है कि उसे पूर्ण करने में ही कई दिन बीत जायेंगे। इसके बाद भी पता चलेगा कि अतिथि शिक्षकों के चयन में गड़बड़ियां हो गई। बताया गया है कि भर्ती जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से होनी है। आवेदन के लिये एजुकेशन पोर्टल 3.0 का उपयोग किया जाता है। जहां रिक्तियों का प्रमाणीकरण किया जाता है। रिक्तियों को भरने के लिये समय सारिणी घोषित की जाती है। उसके अनुसार शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, आवेदक सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। पहले प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण इस तरह से चरणबद्ध कार्रवाई चलती रहती है। प्रथम चरण 1 जुलाई से 8 जुलाई तक चलाया जाना था। दूसरा चरण 10 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाना है। जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार समय सीमा में कार्रवाई करना है। किन्तु जिस तरह की स्थिति शिक्षा विभाग की है उसको देखते हुये ऐसा नहीं लगता कि समय सीमा में हर गतिविधि पूरी हो सकती है। क्योंकि यहां आदेश कुछ होते है और पालन कुछ होता है।

90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य: अतिथि शिक्षक के पद पर रि-ज्वाईनिंग के संबंध में विशेष निर्देश दिये गये हैं। कहा गया है कि अतिथि शिक्षक के पद पर उन्हीं आवेदकों को रि-ज्वाईनिंग दी जायेगी जिनकी गत शिक्षण सत्र में उपस्थिति 90 प्रतिशत या उससे अधिक रही हो। उपस्थिति भी ई-अटेंडेन्स के रूप में मान्य की जायेगी। यहां सवाल यह भी है कि जो नियमित शिक्षक हैं वहीं ई-अटेंडेन्स के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आरोप लगते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नेटवर्किंग की समस्या होती है वहां ई-अटेंडेन्स शत प्रतिशत नही पाती। यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या रहती भी है। किन्तु स्कूल शिक्षा विभाग चूंकि ऊपर एसी कक्ष में बैठकर नियम बनाता है इसलिये उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि जो समस्या है उसके लिये भी विचार होना चाहिये। इसलिये यदि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेन्स का नियम लागू होता है तो संभव है कि कई आवेदक स्कूलों में रि-ज्वाईनिंग ही न कर पायें। जब ऐसा होगा तो यह भी संभव है कि भर्ती के नाम पर आंदोलन प्रदर्शन एवं विरोध भी शुरू हो जाय। इससे शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

यहां सभी स्कूलों की स्थिति भिन्न-भिन्न है

सीएमराईज जैसी कुछ ऐसी स्कूलें हैं जहां अधिक सुविधायें एवं अच्छे शिक्षक हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्कूलें हैं जहां न तो पर्याप्त सुविधायें हैं और न ही अच्छे शिक्षक। शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुये है किन्तु भर्तियां नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह सही है कि स्कूलों का यदि निरीक्षण होता है तो निश्चित रूप से कमजोर बच्चों की जानकारी प्रकाश में आयेगी। बावजूद इसके संभाग आयुक्त ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता मे लिया है। लिहाजा यह देखना होगा कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये जो समस्यायें सामने है उसके लिये क्या प्रयास होते हैं।

सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, नालियां चोक, वार्डों की गलियां बनीं कीचड़ का मैदान

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर पालिका पन्ना की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई वार्डों में नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया।

जगह-जगह नालियां चोक होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा बरसात से पहले नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत के दावे किए गए थे लेकिन पहली ही तेज बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। शहर के कई इलाकों में हालात ऐसे बने कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गईं और गंदे पानी के बीच से गुजरने को लोग मजबूर नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। बरसात शुरू होने से पहले यदि नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था कर ली जाती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। लोगों ने आरोप लगाया कि नपा के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के कई वार्डों में नालियां कचरे और गाद से भरी हुई हैं, जिससे बारिश का पानी निकलने की जगह सड़कों पर फैल रहा है। कई स्थानों पर गंदा पानी घरों के आसपास जमा हो गया है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।

कागजों तक सीमित है सफाई व्यवस्था - वार्डवासियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई देती है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत है। बारिश के बाद खराब हुई सड़कों की हालत ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई वार्डों में पहले से खराब सड़कें अब कीचड़ और जलभराव के कारण और ज्यादा खराब हो गई हैं। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई जगह फिसलन के कारण दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है।

नपा प्रशासन की तैयारियों पर उठे सवाल

नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि मानसून आने से पहले सभी वार्डों में नालियों की सफाई, जल निकासी और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जातीं लेकिन हालात देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तैयारियों में कमी रह गई। लोगों का कहना है कि नगर पालिका को केवल बारिश के समय सक्रिय होने के बजाय पूरे साल सफाई और रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। बारिश के बाद सामने आई इन समस्याओं ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेता है और शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

पोर्टल में झोलाछाप वेण्डरों का है पंजीयन, सत्यापन हो तो नहीं मिलेंगे उनके प्रतिष्ठान

- सामग्री खरीदी हेतु निविदा नही होती आमंत्रित

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, ग्राम पंचायतों में वेण्डरों एवं सरपंच सचिवों की युगलबंदी से सामग्री खरीदी के नाम पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है। किसी भी पंचायत में खरीदी के लिये न तो निविदा आमंत्रित की जाती है, न तो दरों के निर्धारण के लिये प्रतिस्पर्धात्मक कार्रवाई की जाती है।

बल्कि जहां जिस वेण्डर से साठगांठ हो जाती है वहां मनमानी तरीके से फर्जी बिल प्राप्त कर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है। हर पंचायत की स्थिति इसमें भिन्न हो सकती है। जहां जो सरपंच जितना प्रभावी है और जो जितना अधिक फर्जीवाड़ा कर सकता है, जनपद, जिला पंचायत व पंचायत से जितनी अधिक राशि प्राप्त करने में वह सक्षम होता है उतना अधिक फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करता है।

शिकायतों की जांचों से खुलती है पंचायतों की पोल - यह भी सही है कि पंचायतों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की पोल आम जनता की शिकायतों के बाद ही खुलती है। किन्तु शिकायतों की जांच भी आसान नहीं है। एक बार शिकायत होती है तो जांच करने वाले भी मैनेज हो जाते हैं। जहां शिकायतों की जांच अभिलेखों के आधार पर होनी चाहिये वहां जांच करने वाले अधिकारी बिना अभिलेखों को प्राप्त किये ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। फिर सरपंच सचिव ऐसे मामलों में आपत्ति करते हैं कि अभिलेखों के आधार पर जांच नहीं की गई, मौके पर काम हुआ है, सामग्री उपलब्ध है लिहाजा पुन: जांच करवाई जाय। लिहाजा फिर जांच शुरू हो जाती है। इस तरह से बार-बार जांच के नाम पर मामलों में लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। किन्तु प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

मॉनीटरिंग के नाम पर शून्यता

जनपद एवं जिला पंचायत के स्तर से ग्राम पंचायतों में मानीटरिंग के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभिलेखों की जांच व निरीक्षण के नाम पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। यहां तक कि जब भी आडिट की जाती है तो आडिट करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी मैनेज कर लिया जाता है। पोर्टल में भी आडिट प्रतिवेदनों की जानकारी अपलोड नहीं की जाती। लिहाजा पब्लिक डोमेन में आडिट की जानकारी दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि पंचायतों में सरकारी योजनाओं में लूट का प्रयोग लगातार जारी रहता है।

खरीदी के नाम पर बड़ा खेल

खाते में यदि बजट उपलब्ध है तो पंचायतों में खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने में कोई संकोच नहीं होता। कई ऐसे तरीके होते हैं जिनके नाम पर खरीदी के नाम पर प्रतिमाह देयक प्रस्तुत होते रहते हैं। चूंकि पंचायतों में जो वेण्डर होते हैं वे या तो स्थानीय होते हैं अथवा ऐसे लोग होते हैं जो एक लंबे समय से पंचायतों में सामग्री सप्लाई के नाम पर फर्जी कार्य करने के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे वेण्डरों की एक विशेषता यह भी होती है कि वे समय-समय पर अपना नाम, पता आदि भी बदलते रहते हैं। ताकि उनके खिलाफ टैक्स चोरी का कोई मामला न बन पाये। बावजूद इसके जब आम लोगों के हाथ में प्रमाण मिल जाते हैं अथवा जानकारियां मिल जाती हैं तो शिकायतें होना स्वाभाविक है।

आखिर कब होगी खस्ताहाल एवं बिना परमिट की बसों पर कार्यवाही

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, तराई अंचल में नियम कानून, व शासनिक मापदंडों के विपरीत धडल्ले से बिना परमिट की खटारा बसें सडकों में बेतरतीब दौड लगा रहे हैं जो आए दिन दुघटनाओं को खुला आमंत्रण देती प्रतीत हो रही लेकिन प्रशासन गहरी निद्रा में सोया हुआ नजर आ रहा है।

जो अधिकतर पन्ना से बांदा एवं पन्ना से चित्रकूट एवं पन्ना दमोह एवं कटनी मार्ग में देखा जा सकता है । ऐसा लगता है कि परिवहन विभाग सहित समूचे प्रशासन को बडी और वीभत्स घटनाओं का इंतजार रहता है किसी बडी अनहोनी के बाद ही उनकी चिरनिद्रा टूटेगी अवैधानिक बस मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कदम आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा यह एक चिंता भर का नहीं बल्कि जांच कार्यवाहियों का भी विषय है बिना परमिट के बसों में ठूंस ठूंस कर यात्रियों को भरा जाता है खटारा बस से कब किस समय कितने लोग भगवान को प्याज हो जाये दुर्घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।

बस परमिट एक ट्रिप की, दौड़ती है दिनों रात

सडक में इन दिनों बिना परमिट के कई बसों का संचालन हो रहा हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी हैं प्रतिदिन चार से पांच अप डाउन करती हैं। जिनकों कितने ट्रिप की अनुमति है इस ओर प्रशासन की नजर इन पर न जाने क्योंत नहीं पडती है इतना ही नहीं बल्कि बस कंडक्टर मनमानी पर उतारू होकर दबंगई से यात्रियों से अनाप शनाप किराया वसूल करते हैं, इस तरह के मामले हर दिन देखन और सुनने को मिल रहे हैं कुल मिलाकर ये खटारा किस्मन की अवैध संचालित बसों के मालिकों द्वारा न सिर्फ यात्रियों को लूटा जा रहा है बल्कि उनके जीवन के साथ खिलवाड किया जा रहा है। लेकिन परिवहन विभागे के आला अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन खस्ताहाल कबाड बसों के अवैध कार्रवाई होगी या नहीं यह तो विभागीय आला अधिकारी ही जाने क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा।

तबादला प्रकरणों में कैवियट दायर न होने एवं स्थगन निरस्त करवाने प्रभावी पैरवी नहीं होने से स्थगन का लेते हैं अनुचित लाभ

नवभारत न्यूज

पन्ना ,13 जुलाई, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से जुड़े कई मामलों में जब विभाग जिम्मेदारी के साथ पैरवी नहीं करता, कैवियट दायर नहीं होती तो कई स्थगन आदेशों का अनुचित लाभ संबंधित लोक सेवक लंबे समय तक प्राप्त करते रहते हैं। लिहाजा इसका लाभ उन लोकसेवकों को मिलता है जो स्थगन को स्थायी राहत मान लेते हैं और विभागीय स्तर पर फिक्सिंग कर लेते हैं।

ऐसी स्थिति में न तो विभाग की तरफ से कोई प्रभारी नियुक्त होता है और न ही शासन पक्ष से अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी ही होती है।

तबादला हुआ और स्थगन के बाद साहब की कुर्सी स्थायी - कई मामलों में देखा जाता है कि किसी अफसर का तबादला होता है तो वह अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर यथावत हो जाता है। यथावत उसी स्थान पर बने रहने के लिये वह एक तरफ स्थगन आदेश प्राप्त करता है वहीं दूसरी तरफ कार्यमुक्त न होने के लिये अपने वाले अधिकारी से भी सांठगांठ कर लेता है। जब आने वाला अधिकारी उस पर ज्वाइनिंग नहीं देता इसी बहाने उसकी नौकरी उसी पद पर स्थगन के नाम पर लंबे समय से चलती रहती है। इस तरह का स्थगन असीमित समय के लिये हो जाता है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती। कई लोग तो 6 महीने से भी अधिक समय पर उसी स्थान पर पद पर बने रहते हैं। चूंकि स्थगन प्राप्त हो चुका है इसलिये इस मामले में कोई सवाल भी नहीं उठाता। जबकि इस तरह के स्थगन के पीछे अदालत के स्थगन का आधार लेकर विभागीय फिक्सिंग के माध्यम से कुर्सी में बने रहने का एक हथकंडा होता है।

कई जांचों एवं अनुशासनात्मक कार्रवाईयों में भी स्थगन का सहारा - यह भी देखा जाता है कि जिन मामलों में कोई जांच होती है और किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। निलंबन जैसी कार्रवाई की जाती है वहां कई लोग स्थगन लेकर पुन: उसी पद पर पदस्थ हो जाते हैं। इसमें भी विभागीय स्तर से बड़ा खेल होता है। जांच करने वाले अधिकारियों से सांठगांठ कुछ ऐसे हो जाती है जहां वे जांच में कुछ ऐसे संदेहास्पद बिन्दु पैदा कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति को कोर्ट जाने की सलाह दे देते हैं। जैसे किसी को सुनवाई का अवसर न देना और उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर देना अथवा अन्य कोई अवसर दे देना आदि हो सकता है। अथवा कार्रवाई उस अधिकारी द्वारा करना जिसे उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार ही न हो। ऐसी स्थिति में ऐसे शासकीय सेवक स्थगन लेकर फिर से उसी पर पदस्थ हो जाते हैं। आगे मैनेजमेंट इस तरह से होता है कि सरकार की तरफ विभाग कभी पैरवी ही नहीं करता, प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति तक नहीं होती। लिहाजा स्थगन स्थाई विकल्प के रूप में चलता रहता है।

स्थगन के बाद अभ्यावेदनों के निराकरण में भी लापरवाही - यह भी देखा जाता है कि स्थगन से संबंधित कई प्रकरणों में अदालत पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की सुनवाई एवं निराकरण करने के लिये एक समय सीमा निर्धारित करता है। प्राय: कई मामलों में यह समय सीमा 30 दिनों की होती है। किन्तु स्थगन के प्रकरणों में जिन सक्षम अधिकारियों को अनावेदक बनाया जाता है और जिन्हें अभ्यावेदनों के निराकरण के निर्देश होते हैं वे लोग निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदनों की सुनवाई ही नहीं करते।

लिहाजा कोई निराकरण नहीं हो पाता। जब प्रकरण का निराकरण नहीं होता तो उसका लाभ उस लोकसेवक को प्राप्त होता रहता है जो स्थगन प्राप्त कर चुका होता है। इसके पहले किसी भी शासकीय लोक सेवक के मामले में मूलभूत नियम भी है कि वह अदालत जाने के पहले विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। यदि उसका निराकरण नहीं होता अथवा निराकरण से असंतुष्ट है तब वह अदालत की शरण में जा सकता है। अभ्यावेदन के निराकरण की सीमा 30 दिनों की होती है। किन्तु कई लोग अभ्यावेदन की औपचारिकता डाक के माध्यम से पूरा कर कुछ दिनों में ही अदालत पहुंच जाते हैं। स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद अभ्यावेदनों के निराकरण से संबंधित प्रकरणों की यदि शासन स्तर पर समीक्षा की जाय तो पता चलेगा कि कई मामले लंबे समय से विभाग के सक्षम अधिकारियों, विभाग प्रमुखों के कार्यालयों में लंबित हैं। जिनमें आज तक न तो कोई सुनवाई हुई और न ही कोई निराकरण। यही कारण है कि स्थगन आदेश का अनुचित लाभ कई लोकसेवकों को लंबे समय से प्राप्त हो रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के बाद भी लापरवाही

अदालतों के मामले में शासन का पक्ष रखने, जवाबदावा प्रस्तुत करने, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करने, अपील करने अथवा अवमानना प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश भी हैं। ऐसे आदेशों का समय-समय पर पालन करने के लिये नये निर्देश भी जारी होते रहते हैं। बावजूद इसके विभागीय स्तर पर लापरवाही भी इतनी अधिक है कि जीएडी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं होता। लिहाजा इसका लाभ उन लोगों को प्राप्त होता रहता है जो स्थगन के नाम पर वापस आ जाते हैं और अंगद के पांव की तरह जमे रहते हैं।